न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 04/2017

दर्ज दिनांकः 25/01/2017

निर्णय दिनांक : 30/06/2018

भंवरी देवी पत्नि घासीलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासीः डिडावता, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——वादिया

बनाम

1. बनवारी दत्तक पुत्र बद्री
2. बनवारी पुत्र छीतर
3. जगदीश पुत्र मोहरीलाल
4. राजादेवी पत्नि जगदीश प्रसाद

   समस्त जातियानः ब्राहम्ण, निवासीगणः डिडावता, तहसील फागी, जिला जयपुर।

5. तहसीलदार, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. उपतहसीलदार माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय द्वारा दिनांक 30/05/2017 को इस आशय का प्राथमिक डिक्री किया गया था कि " अतः वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 374 के आराजी खसरा नंबर

Scanned by CamScanner

706/1 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा तथा खतौनी संख्या 247 के खसरा नंबर 713 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 713/1443 रकबा 02 बिस्वा, ,खसरा नंबर 715 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 716 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 771 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 868 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 1209 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 08 कुल रकबा 07 बीघा 06 बिस्वा ग्राम डिडावता, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित आराजीयात का मौके पर कब्जे सहमति अथवा बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर तकासमा किया जाकर तहसीलदार फागी को नक्शे तैयार कर दो–दो प्रतियों में भिजवाये जाने के आदेश दिये जाते है। ''

दिनांक 05.05.2018 को तहसीलदार फागी से नक्शे कुरेजात प्राप्त हुये, शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई।

पक्षकारान को सुना गया। नक्शे कुरेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नक्शे कुरेजात प्राथमिक डिक्री निर्णयानुसार प्राप्त हुये। वकील पक्षकारान द्वारा प्राप्त नक्शे कुरेजात के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बाद अवलोकन तहसीलदार फागी से प्राप्त नक्शे कुरेजात को सही पाया जाकर वादी वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद मुताबिक नक्शे कुरैजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात स्थित ग्राम डिडावता, तहसील फागी, जिला जयपुर का तकासमा किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा–अलहदा किया जाता है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1.	भंवरी देवी पत्नि घासीराम कौम ब्राहम्ण सा.देह	868/2 713/2 1209/2 706/3	0.05 0.07 0.05 0.08
		4	1.05

2.	रमेशचन्द पुत्र भंवरलाल हि. 5/54 महेश कुमार पुत्र भंवरलाल हि. 5/54 ओमप्रकाश पुत्र कालूराम हि. 5/54 बनवारीलाल द.पु. बद्री बनवारीलाल पुत्र छीतर हि. 2/9 जगदीश पुत्र मोहरीलाल हि. 3/9 भंवरी देवी ध.प. घासीलाल हि. 1/6 जाति ब्राहम्ण सा. देह	771	0.03
3.	बनवारीलाल द.पु. बद्री बनवारीलाल पुत्र छीतर हि. 1/3 भंवरीदेवी ध.प. घासीलाल हि. 1/6 जगदीश पुत्र मोहरीलाल हि. 1/2 जाति ब्राहम्ण सा. देह	713/1443	0.02
4.	गायत्री देवी पत्नि बनवारीलाल हि. 8/13 बनवारीलाल द.पु. बद्री बनवारीलाल पुत्र छीतर हि. 5/13 जाति ब्राहम्ण सा. देह	716 868/1	0.16 0.10
		2	1.06
5.	जगदीश पुत्र मोहरीलाल जाति ब्राहम्ण सा. देह	1209/1	1.09
6.	बनवारीलाल द.पु. बद्री बनवारीलाल पुत्र छीतर हि. 13/34 जगदीश पुत्र मोहरीलाल हि. 21/34 जाति ब्राहम्ण सा. देह	713/1 715	1.10 0.04
		2	1.14
7.	राजादेवी पत्नि जगदीश प्रसाद शर्मा हि. 10/27 बनवारीलाल द.पु. बद्री बनवारीलाल पुत्र छीतर हि. 17/27 जाति ब्राहम्ण सा. देह	706/1	1.07

तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/06/2018 को राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी
मुद्रा
जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
फागी

Scanned by CamScanner